According to the latest available data (for 1988-89) drop-out of rate of SC and ST girls was as follows :—

	SC Girls	ST Girls
Classes I—V	53.39	68.73
Classes I—VIII	73.60	81.40
Classes I—X	85.62	89.91

School drop-out rates are collected at such stage of education with reference to their enrolment and not in proportion to their population strength. Data is also not collected separately for S.E.B.C. and minority communities.

Some of the steps undertaken to increase retention in school system include:

— provision of incentives to socio-economically backward children such as free uniforms, free text-books, attendance scholarships, mid-day meals etc.

— provision of primary and upper primary schools within easy walking distance. At primary stage norm is to provide a primary school for a habitation of 300 population either with the habitation or upto a distance of 1 Km., In case of tribal desert and hilly areas norm is relaxed to a habitation with 200 population. At upper primary stage norm is to provide a middle school for a habitation with 500 population upto a distance of 3 Km.;

— provision of programmes of part time non-formal education for children who cannot attend whole day schools and children in habitations without schools;

— Improvement of school facilities under centrally sponsored scheme of OB;

— Micro-planning through a process of community participation and effective decentralisation of educational management to the village level;

— shifting emphasis on retention by monitoring number of children completing class V and Class VIII and devising programme to ensure that the minimum levels of learning are achieved by all children completing a stage of education;

— Adoption of target group oriented strategies and fixing of separate targets for access, participation and acievement for girls and SC/ST children.

A Centrally sponsored scheme is in operation to provide financial assistance to voluntary organisations for arranging short-term training programmes of vocational education preferably in backward/rural areas and particularly for girls of the age group 14-18 years who have dropped out of school before completing Class X.

सरकारी क्षेत्रों में नये इस्पात एककों की स्थापना

*460. श्री राम जेठमलानी :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस आशय का कोई निर्णय लिया है कि 1997 तक सरकारी-क्षेत्र में कोई भी इस्पात उत्पादक इकाई स्थापित नहीं की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस समय सरकारी क्षेत्र में कार्यरत इस्पात इकाइयों की अधिष्ठापित

क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इनकी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में उत्पादन का औसत अनुपात कितना रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् देश में इस्पात इकाइयां स्थापित करने के लिए निजी-क्षेत्र को छूट दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् देश में निजी क्षेत्र में नई इस्पात इकाइयां स्थापित करने की किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में इस्पात उत्पादक इकाइयों की कुल कितनी अधिष्ठापित क्षमता हो जाने का अनुमान है और उस समय इस्पात की कुल कितनी वार्षिक मांग होने का अनुमान है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना (अन्तिम वर्ष 1996-97) के दौरान सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु किसी नए इस्पात संयंत्र को शामिल करना सम्भव नहीं है। जुटाए गए संसाधनों का उपयोग सरकारी क्षेत्र में विद्यमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में कार्यरत इस्पात इकाइयों की संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग को विवरण में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र में नई इस्पात इकाइयों को प्रोत्साहित करने और उनकी सुविधा के लिए सरकार ने कई उपाए किए हैं। किए गए कुछ उपाए निम्नानुसार हैं :—

(1) "लोहा और इस्पात उद्योग" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार के उद्योगों को साम्य में 51% तक की विदेशी निवेश के स्वतः अनुमोदन का प्रावधान है, बशर्ते इसमें पूंजीगत सामान का आयात शामिल हो।

(3) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।

(4) व्यापार नीति को उदार बना दिया गया है और स्क्रैप, सेमीज आदि के आयात का माध्यम अभिकरण समाप्त कर दिया गया है।

(5) लोहा और इस्पात उद्योग के उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं।

(6) इस्पात उद्योग को सहायता देने के लिए मंत्रालय वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ कार्रवाई कर रहा है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक परिसज्जित इस्पात की कुल आवश्यकता 250 लाख टन निर्यात-सहित आंकी गई है। इसकी तुलना में गौण क्षेत्रों सहित सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा कुल उत्पादन 240.9 लाख टन किये जाने का अनुमान है।

आठवीं योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में संस्थापित क्षमता 138.42 लाख टन विक्रय इस्पात आंकी गई है। इसमें "सेल" के इस्पात संयंत्रों की मात्रा 108.42 लाख टन और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की मात्रा 26.56 लाख टन है।

विवरण

संयंत्र का नाम	प्राप्त/संस्थापित क्षमता (दस लाख टन) विक्रय इस्पात)			विक्रेय इस्पात उत्पादन (दस लाख टन)			क्षमता उपयोग (%)		
	1990–91	1991–92	1992–93	1990–91	1991–92	1992–93	1990–91	1991–92	1992–93
सेल के संयंत्र	8.756	8.793	8.823	8.823	7.36	8.34	84	91	95
विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र		—	—	2.6	0.12	0.88	चूंकि संयंत्र चरणों में चालू किया है। इसलिये उत्पादन संस्थापित क्षमता की तुलना नहीं की जा सकती।		